न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01, हरदोई

सत्र परीक्षण संख्या 503/2022

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शिवराम

दिनांक 15–05–2023

निस्तारण कागज सं० 23–ब अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं०

पत्रावली अभियोजन के आवेदन अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० पर आदेशार्थ नियत है।

अभियोजन के आवेदन अन्तर्गत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 कागज सं0–23–ब पर दिनांक 01–05–2023 को उभयपक्षों के तर्क सुने गये थे।

पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

वादी मुकदमा/अभियोजन के तरफ से आवेदन कागज संख्या 23–ब अन्तर्गत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में अभियुक्त पुत्तीलाल पुत्र भजन को भी नामजद किया गया था। दौरान विवेचना गवाहान के 161 सी०आर०पी०सी० के बयानों में भी अभियुक्त पुत्तीलाल का नाम आया परन्तु पुलिस ने मुल्जिम से मिलकर आरोपपत्र में नहीं रखा है। उक्त वाद में पी०डब्लू० 1 कमलेश, पी०डब्लू० 2 अर्जुन का बयान न्यायालय में अंकित किया जा चुका है जिनमें भी अभियुक्त पुत्तीलाल की संलिप्तता दर्शायी गई है। अभियुक्त पुत्तीलाल को उक्त वाद के विचारण हेतु तलब किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अभियुक्त शिवराम की ओर से लिखित आपत्ति कागज सं० 25–ब प्रस्तुत की गई है।

धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 यह उपबन्धित करता है कि – अपराध के विचारण या जॉच के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता हो कि कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है उसके द्वारा अपराध कारित किया गया है तथा ऐसे व्यक्ति का विचारण विचारित किये जा रहे अभियुक्त के साथ होना चाहिए तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जिसे द्वारा अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है के विरूद्ध विचारण हेतु अग्रसारित हो सकता है।

अतः स्पष्ट है कि धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का विचारण विचारित किये जा रहे व्यक्ति के साथ हो सकता है जिसके सम्बन्ध में यह प्रतीत होता है कि उसके द्वारा अपराध कारित किया गया हो। धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 की प्रदत्त शक्ति असाधारण है, इस न्यायालय को उसका प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना अपेक्षित है।

न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि क्या प्रस्तुत अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति का प्रयोग करने हेतु विधिपूर्ण व पर्याप्त है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा कमलेश अभियोजन साक्षी सं० 1 द्वारा अभियुक्त शिवराम के अतिरिक्त पुत्तीलाल के विरूद्ध पंजीकृत करायी गई थी। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त मात्र शिवराम के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया है। पुत्तीलाल की नामजदगी गलत पाये जाने के आधार पर उसके विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित नहीं किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य

स्पष्ट है कि पुत्तीलाल अभियुक्त शिवराम का पिता है तथा न्यायालय में परीक्षित अभियोजन साक्षी सं० 1 वादी मुकदमा कमलेश जो मृतक का पिता है तथा अभियोजन साक्षी सं० 2 छोटेलाल घटना में अन्य आहत विपिन का दादा है, ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अन्य अभियुक्त पुत्तीलाल के संबंध में अपराध कारित किये जाने के बाबत कोई विशिष्ट एवं स्पष्ट कथन नहीं किया है।

2002 सीआर0एल0जे0 पृष्ठ 2806 शशीकान्त सिंह बनाम तारकेश्वर सिंह तथा अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था दी है कि शब्दावली 'ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है' आदेशात्मक नहीं वरन् सिर्फ निर्देशात्मक है।

माइकेल मचाड़ो बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन 2000 (40) ए0 सी0 सी0 पृष्ठ 795 के मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है:-

'"धारा-319 सीआर0पी0सी0 का आश्रय लेने के लिए आधारभूत अपेक्षा यह है कि उस विचारण के दौरान या जाँच में एकत्रित साक्ष्य से न्यायालय को यह प्रतीत होना चाहिए कि कुछ अन्य व्यक्ति, जिसे उस मामलें में अभियुक्त के रूप में अभियोजित नहीं किया गया है, अपराध कारित किया था, जिसके लिए उस व्यक्ति का पहले से अभियोजित किए गए अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता था। यह पर्याप्त नहीं है कि न्यायालय को अपराध में अन्य व्यक्ति की संलग्नता के बारे में कुछ सन्देह है। अन्य शब्दों में, न्यायालय को दोनों पहलुओं से सम्बन्धित पहले से एकत्रित साक्ष्य का युक्तियुक्त समाधान प्राप्त करना चाहिए। तथ्य यह है कि अन्य व्यक्तियों ने अपराध कारित किया है। दूसरा यह है कि ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति का विचारण पहले से अभियोजित अभियुक्त के साथ किया जा सकता है किन्तु तब भी, जो न्यायायल पर प्रद्त्त है, वह केवल विवेकाधिकार है, जिसे शब्दों 'न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही कर सकेगा' से समझा जा सकता है। इस प्रकार प्रद्त्त वैवेकिक शक्ति का प्रयोग केवल आपराधिक न्याय प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। यह स्मरण किया जाना चाहिए कि अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए न्यायालय पर कोई विवशकारी कर्तव्य नहीं है। जब तक न्यायालय को आशा नहीं है कि नए ढंग से जोडे गये अभियुक्त के विरूद्ध मामले की सम्बद्धता अपराध की दोषसिद्धि में समाप्त होने की युक्तियुक्त सम्भाव्यता है, तो हम यह कहेंगे कि न्यायालय को कार्यवाही का ऐसा अनुक्रम अंगीकार करने से प्रविरत होना चाहिए।"

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ देलही बनाम रामकिशन रोहतगी 1980(20) ए0 सीसी0 पृष्ठ 50 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह अवधारित किया है:-

"किन्तु हम यह जोड़ने में शीघ्रता करेगें कि यह वास्तव में असाधारण शक्ति है,जो न्यायालय को प्रदान की गयी है और यदाकदा और केवल तब प्रयोग की जानी चाहिए, यदि अन्य व्यक्ति के विरूद्ध, जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है, संज्ञान लेने के लिये विश्वसनीय कारण विद्यमान है ।"

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित उक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि ''किसी व्यक्ति को केवल विचारण का सामना करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की

धारा–319 के अधीन समन नहीं किया जाना चाहिए, उसकी दोषसिद्धि की भी सम्भाव्यता होनी चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–319 के अधीन शक्ति न्यायानुसार प्रयोग किये जाने के लिए न्यायालय को दी गयी असाधारण शक्ति है, इसका यदाकदा केवल तब प्रयोग किया जाना चाहिए जब इसकी अत्यधिक अपेक्षा की जाती है। मामले में साक्ष्य के प्रारम्भ होने के बाद अभियुक्त के रूप में किसी व्यक्ति को समन करने का आश्रय केवल तब लिया जाना चाहिए जब उसकी दोषसिद्धि की युक्ति–युक्त सम्भाव्यता है।''

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **सर्वजीत सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य 2010(2) एस.सी.सी.(क्रिमि.) 141** में अवधारित किया गया है कि आरोप विरचित होते समय यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं, जब कि धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये प्रथम दृष्टया मामले से भिन्न पर्याप्त साक्ष्य होना आवश्यक है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णीत न्याय दृष्टान्त **हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य ए.आई.आर. 2014 एस.सी.डब्लू. पेज 667** में यह अवधारित किया गया है कि चूँकि धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति का प्रयोग करने से विचारण विलम्बित होगा अतः धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के शक्ति के प्रयोग हेतु कुछ अधिक साक्ष्य का होना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित हरदीप सिंह के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत प्रद्त्त शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में यह भी अवधारित किया गया है कि "Power under Section 319 Cr.P.C is a discretionary and an extraordinary power. It is to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. It is not to be exercised because the Magistrate/ Session Judge is of the opinion that some other person may also be guilty of committing that offence. Only where strong and cogent evidence occurs against a person from the evidence led before the Court that such power should be exercised and not in a casual and cavalier manner. ...though only a primafacie case is to be established from the evidence led before the Court not necessarily tested on the anvil of cross examination, it requires much stronger evidence than mere probability of his compilicity. The test that has to be applied is one which is more than primafacie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction."

उपरोक्त वर्णित हरदीप सिंह के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि Though under Section 319, Cr.P.C. the accused subsequently impleaded is to be treated as if he had been an accused when the Court initially took cognizance of the offence, the degree of satisfaction that will be required for summoning a person under Section 319, Cr.P.C. would be the same as for framing a charge. The difference in the degree of satisfaction for summoning the original accused and a subsequent accused is on account of the fact that the trial may have already commenced against the original accused and it am the course of such trial materials are disclosed against the newly summoned accused. Fresh summoning of an accused will result in delay of the trial- therefore the degree of satisfaction for summoning the accused original and subsequent) has to be different.

उपरोक्त निर्णयज विधि में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दं0 प्र 0 सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत न्यायालय की प्रस्तावित अभियुक्त को तलब करने की अधिकारिता असाधारण है। जिस व्यक्ति का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दर्ज हो और आरोप पत्र प्रस्तुत न किया गया हो तो किसी भी प्रक्रम पर उसे विचारण हेतु तलब किया जा सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण का आधार किसी को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। इस असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु असाधारण स्थिति का समाधान अवश्य कर लेना चाहिए तथा दं0 प्र 0 सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत तलब करने की अधिकारिता का प्रयोग हेतु कम ही (Sparingly) करना चाहिए।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायालय में इस स्तर पर जो साक्ष्य अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर अभियुक्त के रूप में विचारण हेतु पुत्तीलाल को इस स्तर पर अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० तलब किये जाने के संबंध में न्यायालय को असाधारण शक्ति का प्रयोग किया जाना विधिसम्मत व न्यायोचित नहीं है। तदनुसार अभियोजन का आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदन कागज सं० 23–ब अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० अभियोजन निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 29–06–2023 को पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हो।

(सत्यदेव गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1,
हरदोई।